सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलक्टर,उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित आनन्दी आई.ए.एस

प्रकरण संख्याः **34 / 2018** प्रार्थना पत्र (रसद)

अनवान

राजस्थान राज्य जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, उदयपुर

.....प्रार्थी

बनाम

श्री प्रकाश साहू पिता श्री रमेश साहू , चरक मिष्ठान भण्डार, सुभाष चौराहा, उदयपुर

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए (1)(2)आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित एलपीजी गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर 2000 के तहत अवैध रूप से भण्डारित 5 घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किलो मय 10.9 किलो एलपीजी को राजसात(Conficate)कराने के कम में।

उपस्थितः— श्री प्रद्युम्नसिंह राणावत प्रवर्तन अधिकारी पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक : 19.08.2019

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रवर्तन अधिकारी, उदयपुर ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित एलपीजी गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर 2000 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 05.11.18 को जिला रसद अधिकारी प्रथम उदयपुर गितेश श्री मालवीया के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चरक मिष्ठान भण्डार पर पहुंचने पर पाया कि उनके दो मंजिला प्रतिष्ठान में प्रथम तल पर दो एवं निचले तल पर तीन कुल 5 घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग होना पाया गया। उक्त 5 घरेलू गैस सिलेण्डरों में से दो सिलेण्डर भट्टी से जुडे हुये तथा 3 सिलेण्डर नीचले तल पर भट्टी से जुडे पाये गये। घरेलू गैस सिलेण्डरों को उपयोग त्यौहारी सीजन में मिठाई इत्यादि बनाने के काम में लिया जा रहा है। वक्त जांच इन सिलेण्डरों के कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किये गये। घरेलू

गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग मौके पर किया जा रहा था जो कानून सम्मत नहीं होने बाबत जानकारी होना बताया। उक्त 5घरेलू गैस सिलेण्डरों में से तीन सिलेण्डर बीपीसीएल व 2 सिलेण्डर आईओसीएल के पाये गये। मौके पर उक्त सिलेण्डरों का व्यवसायिक गतिविधियों में होना पाये जाने से मय गैस 10.9 किलोग्राम का अधिग्रहण कर अम्बामाता गैस ऐंजेसी के प्रतिनिधि श्री कृष्णा सिंह हॉकर को सिपुर्द किये गये। इस प्रकार श्री प्रकाश साहू चरक मिष्ठान भण्डार उदयपुर द्वारा 5 घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण करना एलपीजी गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर 2000 के क्लॉज 3(1)(सी) का उल्लघंन होना पाया गया। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय है। अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर उक्त जप्त किये 5 घरेलू गैस सिलेण्डरों में भरी एलपीजी अत्यन्त ज्वलनशील है। जनहानि हो सकती है। अतः शीघ्रताशीघ्र अंतरिम निष्तारण करने का आदेश फरमावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी की ओर से अधिवक्ता श्री अरूण जैन द्वारा दिनांक 18.03.19 को उपस्थित होकर अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत किया, परन्तु आजदिनांक को वक्त बहस अनुपस्थित रहा। पूर्व में भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः विपक्षी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही दिनांक 05.08.19 को की गई।

प्रकरण में उपस्थित पेरोकार सरकार को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी प्रकाश साहू के गौदाम एवं मिष्ठान निर्माण स्थल पर संयुक्त टीम द्वारा निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण 5 घरेलू गैस सिलेण्डर जो की बीपीसीएल/आईओसीएल के होकर बिना कागजात पाये गये। यानि की यह 5 घरेलू गैस सिलेण्डर विपक्षी द्वारा अवैध भण्डारण किया गया। जिन्हे मौके पर जप्त किये जाकर अम्बामाता गैस सर्विस के हॉकर श्री कृष्णा सिंह के सिपुर्द किये गये। उक्त 5 घरेलू गैस सिलेण्डर अवैध भण्डारण करना एलपीजी गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर 2000 के क्लॉज 3(1)(सी) का उल्लघंन होना पाया गया। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय है। जप्त गैस अत्यन्त ज्वलनशील है, विस्फोट होकर जनहानि हो सकती है। जिसका निस्तारण किया जाना भी अतिआवश्यक है।

अतः प्रवर्तन निरीक्षक उदयपुर का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर उक्त 5 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस 10.9 किलोग्राम के राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है।

जिला रसद अधिकारी (प्रथम), उदयपुर को निर्देशित किया जाता है कि वह जब्तशुदा 5 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस 10.9 किलोग्राम का नियमानुसार निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही करें। राजकोष में राशि जमा कर चालान की प्रति न्यायालय में प्रेषित करें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी (प्रथम), उदयपुर को पालनार्थ प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(आनन्दी)
जिला कलक्टर
उदयपुर